



Scholarships at a Glance

Post-Matric Scholarship (SC, ST, OBC)

वर्ग समूह – SC, ST, OBC

सम्बंधित विभाग - आदिम जाति कल्याण विभाग

आय पात्रता – SC/ST – Rs. 3,00,000 प्रति वर्ष, OBC – Rs. 75,000 प्रति वर्ष

शैक्षणिक अर्हता प्रतिशत – N/A

संलग्न दस्तावेज़ :

- १०वीं एवं 12वीं अंकसूची
- जाति प्रमाण पत्र
- अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- अंतिम तीन कक्षाओं की अंकसूची
- स्वयं का बैंक अकाउंट की पासबुक
- समग्र आई.डी. प्रिंटआउट
- फोटो फॉर्म में लगी है या नहीं
- आधार कार्ड (बैंक अकाउंट से लिंकड)
- शपथ पत्र (छात्रवृत्ति सम्बंधित)
- फीस रसीद की कॉपी

Note : ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज़ संलग्न कर संस्था में जमा करना अनिवार्य है।

Apply Online in scholarshipportal.mp.nic.in

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना

वर्ग समूह – General (सामान्य)

सम्बंधित विभाग – मध्यप्रदेश शासन की योजना

आय पात्रता – Rs. 3,00,000 प्रति वर्ष

शैक्षणिक अर्हता प्रतिशत – 12th Pass with Percent above 80%

संलग्न दस्तावेज़ : Same

अन्य पात्रता :

- किसी शैक्षणिक सत्र में 60% से कम अंक प्राप्त होने या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता पूर्णतः समाप्त हो जाती है।
- PG Course में इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है।

Note :

- आवेदन manual भरा जाता है।
- छात्रवृत्ति फॉर्म संस्था में उपलब्ध कराया जाता है। Form Fee - 10 Rs Only
- Form जिले के सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा किया जाता है।

दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना

वर्ग समूह – सभी वर्ग

सम्बंधित विभाग – केंद्र शासन की योजना

आय पात्रता –Rs. 2,50,000 प्रति वर्ष से कम

शैक्षणिक अर्हता प्रतिशत – N/A

संलग्न दस्तावेज़ : Same

✓ मान्यता प्राप्त चिकित्सालय विभाग द्वारा 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र

अन्य पात्रता :

- एक ही परिवार के २ से अधिक अपंग छात्रों की पात्रता नहीं ।
- किसी अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न किया हो।
- PG/Degree/Diploma/Certificate Course हेतु पात्र ।
- यदि छात्र एक साथ 2 कोर्स कर रहा है तो केवल एक की ही पात्रता होगी ।
- किसी Degree Course में फ़ैल होने के बाद यदि छात्र किसी Technical/Certificate/Diploma/Degree में प्रवेश लेता है, तो उसे पात्रता होगी।
- Correspondence Study को भी पात्रता ।

Note :

- म. प्र. सामाजिक न्याय विभाग में ऑनलाइन फॉर्म जमा होते हैं।

Apply Online in scholarship.gov.in

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना

वर्ग समूह – मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी

सम्बंधित विभाग – केंद्र शासन की योजना

आय पात्रता – Rs. 200000 प्रति वर्ष

शैक्षणिक अर्हता – 12th Pass with 50% Marks or above.

संलग्न दस्तावेज़ : Same

अन्य पात्रता :

- BPL परिवार को प्राथमिकता
- किसी शैक्षणिक सत्र में 50% से कम अंक प्राप्त होने पर पात्रता समाप्त हो जाती है।
- एक ही परिवार से २ से अधिक छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है।
- यदि कोई छात्र गलत प्रमाण पत्र व शपथ पत्र देता है तो छात्रवृत्ति राशि पुनः Recover की जाएगी।
- शपथ पत्र अल्पसंख्यक का होना चाहिए।
- नवीन निर्देशानुसार डिग्री या PG Course में केवल एक बार छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।

Note :

- सीमित संख्या में राशि जारी होती है।
- आवेदन Online भरा जाता है।
- यह अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग विभाग में जमा किया जाना है।
- नवीन नियमानुसार ऑनलाइन फॉर्म संस्था स्तर पर सुरक्षित रखे जायेंगे।

Apply Online in scholarship.gov.in

Central Sector Scholarship

वर्ग समूह – सभी वर्ग (Non Creamy Layer)

सम्बंधित विभाग – मध्यप्रदेश शासन की योजना

आय पात्रता – Rs. 4,50,000 प्रति वर्ष से कम

शैक्षणिक अर्हता प्रतिशत – 12th Pass with Percent above 80%

संलग्न दस्तावेज़ : Same

अन्य पात्रता :

- किसी शैक्षणिक सत्र में 60% से कम अंक प्राप्त होने या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता पूर्णतः समाप्त हो जाती है।
- प्रति वर्ष 82000 छात्रवृत्ति वितरित होती है जिसमें 50% कन्याओं के लिए आवंटित है।

आरक्षण :

- SC – 15%
- ST – 7 ½ %
- OBC – 27 %
- Girls – 50%

Apply Online in scholarship.gov.in

गांव की बेटी छात्रवृत्ति योजना

वर्ग समूह – सभी वर्ग

सम्बंधित विभाग – मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

आय पात्रता – N/A (आय का बंधन नहीं)

शैक्षणिक अर्हता प्रतिशत – 12th Pass in 1st Division

संलग्न दस्तावेज़ :

- ✓ गांव की निवासी होने के सम्बन्ध में सरपंच का प्रमाण पत्र
- ✓ प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करने के सम्बन्ध में स्कूल के प्रमुख का प्रमाण पत्र
- ✓ जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाला गांव की बेटी का प्रमाण पत्र

अन्य पात्रता :

- छात्रा गांव की निवासी होनी चाहिए तथा गांव में रहकर बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
- नगरीय व शहरी क्षेत्रों की निवासी छात्राये पात्र नहीं हैं।
- यह योजना शासकीय संस्थान, अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थान जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थान के अनुसार हो एवं गांव की मेधावी छात्राये जो शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से 5 Km. की परिधि से बाहर Private मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन कर रही हो, पात्र है।
- नगर पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत माना जायेगा।
- जिस सत्र में बारहवीं उत्तीर्ण हो उसी सत्र में प्रवेश लेना होगा।
- बारहवीं में पूरक से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण को पात्रता

Apply Online in scholarshipportal.mp.nic.in

बीड़ी श्रमिक व अन्य छात्रवृत्ति योजना

वर्ग समूह – सभी वर्ग

सम्बंधित विभाग – केंद्र शासन की योजना (Labour Welfare Organization)

आय पात्रता :

- ❑ बीड़ी श्रमिक – 10,000/- से कम
- ❑ Iron Ore, Manganese Ore, Chrome Ore Mine Workers – 1,00,000/- से कम
- ❑ Mica mine workers – 1,0,0000/- से कम
- ❑ Limestone Dolomite mine workers – 1,00,000/- से कम
- ❑ Lime Workers – 1,00,000/- से कम

शैक्षणिक अर्हता प्रतिशत – N/A

संलग्न दस्तावेज़ :

- ✓ श्रमिक कार्ड अनिवार्य है।

अन्य पात्रता :

- श्रमिक कार्ड अनिवार्य है।
- आवेदक अंतिम कक्षा प्रथम बार में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- Correspondence Studies को पात्रता नहीं।
- छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवेदक भारत में कहीं भी सामान्य या तकनीकी इत्यादि में नियमित तौर पर प्रवेशित होना चाहिए।
- Same Stage Student को पात्रता नहीं जैसे यदि कोई स्टूडेंट B.Com. Sem1 में Fail हो जाता है। फिर B.A. Sem1 में प्रवेश ले तो उसे छात्रवृत्ति पुनः नहीं मिलेगी।
- शिक्षण संस्थान शासकीय या शासकीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए जहाँ आवेदक अध्ययन कर रहा है।
- बैंक खाता आवेदक के नाम का होना चाहिए, यदि Joint खाता है तो प्रथम नाम आवेदक का होना चाइये।

Apply Online in scholarship.gov.in